

२४/०६/२०२२

पं.सं.१०००/२०२२

वकील शर्मा द्वारा शर्मा पत्र तलब करने का बत पेश करने के कारण पत्रावली माज नियत तिथि से पूर्व पेश हुई। वकील शर्मा द्वारा शर्मा पत्र वास्ते बाद विद्देश करने का बत सा.पत्र पेश किया। ~~वकील~~ शर्मा का शर्मा पत्र वास्ते बाद विद्देश करने का बत सा.पत्र स्वीकार किया जा रहा है। एवं शर्मा द्वारा ~~शर्मा~~ शर्मा पत्र अन्तर्गत धारा २१२ राज. का.सं. २०१० का विद्देश किया जाने से सा.पत्र खारिज किया जाकर पत्रावली पं.सं.१०००/२०२२ टोकर पत्रावली नम्बर से मम हो।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

